



बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स :- 2226906, फोन :- 0151-2226902, 0151-2226905

E-mail:- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site www.bikanermc.org

क्रमांक/स्वा./ 2021/3055-59

10 मार्च, 2021

-: ई-निविदा सूचना सं० 13 (वर्ष 2021-22) -:

वर्ष 2021-22 नगरीय सीमा क्षेत्र में आवारा पशुओं को पकड़ने एवं परिवहन कर निगम द्वारा निगम द्वारा निर्धारित अन्य गौशाला में छुड़वाने के कार्य के लिए कार्यादेश जारी होने की दिनांक से 1 वर्ष के लिए ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा डाउनलोड करने की अंतिम दिनांक 23.03.2021, निविदा दर अपलोड करने की अंतिम दिनांक 24.02.2021 एवं तकनीकी बिड खोलने की दिनांक है। निविदा की शर्तें निगम की वेबसाइट www.bikanermc.org एवं www.sppp.rajasthan.gov.in पर भी देखी जा सकती हैं। निविदाएं वेबसाइट www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड एवं सफल निविदादाताओं की ही वितीय बिड खोली जावेगी। सभी दस्तावेज ऑनलाईन ही अपलोड करने अनिवार्य है।

(ए. एच. गौरी)RAS

आयुक्त

10 मार्च, 2021

क्रमांक/स्वा./ 2021/3055-59
प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान् निदेशक जनसम्पर्क एवं प्रकाशन विभाग राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि संलग्न निविदा का प्रकाशन निम्नानुसार विक्रय तिथि से समुचित समय पूर्व कम से कम स्पेस में नियमानुसार राज्य सरकार की प्रकाशन नीति के अनुरूप एक राज्य स्तरीय बीकानेर संस्करण मुख्य दैनिक समाचार पत्र एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन करवाने की व्यवस्था करें। में प्रकाशन करवाने की व्यवस्था करें।
2. श्रीमान् जिला कलक्टर कार्यालय महोदय, बीकानेर।
3. मुख्य लेखाधिकारी बीकानेर नगर निगम सूचनार्थ।
4. ओसवाल डाटा, बीकानेर नगर निगम को भेजकर लेख है कि निविदा को नगर निगम की वेबसाइट पर प्रकाशन करावें।
5. नोटिस बोर्ड बीकानेर नगर निगम।

(ए. एच. गौरी)RAS

आयुक्त



बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फ़ैक्स :- 2226906, फ़ोन :- 0151-2226902, 0151-2226905
E-mail:- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site www.bikanermc.org

क्रमांक/स्वा./ 2021/3049-54

15 मार्च, 2021

-: ई-निविदा सूचना सं० 13 (वर्ष 2021-22) -:

वर्ष 2021-22 नगरीय सीमा क्षेत्र में आवारा पशुओं को पकड़ने एवं परिवहन कर निगम द्वारा निगम द्वारा निर्धारित गौशाला में छुड़वाने के कार्य के लिए कार्यादेश जारी होने की दिनांक से 1 वर्ष के लिए ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा की शर्तें निगम की वेबसाइट www.bikanermc.org एवं www.sppp.rajasthan.gov.in पर भी देखी जा सकती हैं। निविदाएं वेबसाइट www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड एवं अपलोड हेतु उपलब्ध हैं।

कार्य की अनुमानित लागत - 37.50 लाख

निविदा प्रपत्र शुल्क - 1000/- रुपये (ऑनलाईन)

ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया शुल्क - 500/- रुपये (ऑनलाईन)

निविदा डाउनलोड करने की अंतिम दिनांक - 23.03.2021 शाम 6:00 बजे तक

निविदा दर अपलोड करने की अंतिम दिनांक - 24.03.2021 शाम 6:00 बजे तक

तकनीकी बिड खोलने की दिनांक - 26.03.2021 शाम 04:00 बजे तक

सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी। सभी दस्तावेज ऑनलाईन ही अपलोड करने अनिवार्य हैं।

(ए. एच. गोरी)RAS
आयुक्त

15 मार्च, 2021

क्रमांक/स्वा./ 2021/3049-54
प्रतिलिपि :-

1. माननीय महापौर महोदय, बीकानेर नगर निगम।
2. श्रीमान् जिला कलक्टर, बीकानेर।
3. मुख्य लेखाधिकारी बीकानेर नगर निगम सूचनार्थ।
4. ओसवाल डाटा, बीकानेर नगर निगम को भेजकर लेख है कि निविदा को नगर निगम की वेबसाइट पर प्रकाशन करावें।
5. नोटिस बोर्ड बीकानेर नगर निगम।
6. सुरक्षित पत्रावली।

(ए. एच. गोरी)RAS
आयुक्त



बीकानेर नगर निगम

तकनीकी बीड (प्रथम भाग)

1	ई-निविदा सूचना संख्या	13/2021-22	
2	कार्य का नाम	बीकानेर नगर निगम क्षेत्र में आवश्यकतानुसार आवारा गौवंश पकड़ने एवं परिवहन कार्य	
3	नाम फर्म		
4	डाउनलोड करने की अंतिम तिथि	23.03.2021	6:00 PM तक
5	अपलोड करने की अंतिम तिथि	24.03.2021	6:00 PM तक
6	तकनीकी बीड खोलने की दिनांक	26.03.2021	11:00 AM

(<http://eproc.rajasthan.gov.in>)

आयुक्त
बीकानेर नगर निगम

—: सहमति-पत्र :-

उक्त प्रपत्र की पूर्ति आवश्यक रूप से करें

सं.	दस्तावेज का विवरण	✓ करें
1.	फर्म/संवेदक का रिश्तेदार नगर निगम बीकानेर में कार्यरत नहीं होने का 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ-पत्र	संलग्न है/नहीं है
2.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि/घोषणा पत्र।	संलग्न है/नहीं है
3.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि/घोषणा पत्र।	संलग्न है/नहीं है
4.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि/घोषणा पत्र।	संलग्न है/नहीं है
5.	वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पंजीयन प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।	संलग्न है/नहीं है
6.	आय कर (पैन नम्बर) पंजीयन प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।	संलग्न है/नहीं है
7.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत द्वारा जारी पंजीयन की सत्यापित प्रतिलिपि।	संलग्न है/नहीं है
8.	50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर बिड सिक्यूरिटी घोषणा पत्र।	संलग्न है/नहीं है

क्रम संख्या 1 से 08 की पूर्ति होने पर ही निविदा का द्वितीय भाग (वित्तीय बीड) खोली जायेगी। संलग्न दस्तावेजों की प्रतियां स्कैन करके अपलोड करने एवं संलग्न शर्तों पर आवारा गौवंश पकड़ने एवं परिवहन आपूर्ति कार्य करने एवं अमानत राशि/निविदा शुल्क/ई-टेंडरिंग शुल्क ऑनलाईन जमा कराने हेतु सहमत हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील



बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फ़ैक्स :- 2226906, फ़ोन :- 0151-2226902, 0151-2226905

E-mail:- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site www.bikanermc.org

वित्तिय बीड (द्वितीय भाग)

1. ई-निविदा सूचना संख्या - 13/2021-22

2. कार्य का नाम :- बीकानेर नगर निगम क्षेत्र में आवश्यकतानुसार आवारा गौवंश पकड़ने एवं परिवहन कार्य

फर्म का नाम :-

आवारा गौवंश पकड़ने एवं परिवहन वाहन, श्रमिक, चालक व ईंधन सहित आपूर्ति कार्य

प्रति आवारा गौवंश पकड़ने एवं परिवहन, श्रमिक, चालक व ईंधन सहित निविदा शर्तों के अनुसार समस्त कर सहित रूपय किलोमीटर की दर निम्नानुसार है :-

किलोमीटर	दर प्रति आवारा गौवंश
20 किलोमीटर तक	
21 से 30 तक	
31 से 40 तक	
41 से 50 तक	
51 से 60 तक	
60 से अधिक प्रति किलोमीटर	

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील



बीकानेर नगर निगम

नगरीय क्षेत्र से आवारा पक्कड़ों को पकड़ने एवं परिवहन कार्य की विविध सूचना संख्या 13 (वर्ष 2021-22)
विविध शर्तें

1. सफल निविदादाता को नगरीय क्षेत्र के समस्त वार्डों से आवारा गौवंश को पकड़कर निगम द्वारा निर्मित निम्न-द्वारा निर्धारित गौशाला में छोड़ने हेतु कार्यदेश जारी होने की दिनांक से 1 वर्ष के लिए आवश्यकता होगी।
2. निविदा प्रक्रिया ऑनलाईन होगी। निविदा प्रपत्रों को वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले संवेदकों को निविदा को इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर जमा करानी होगी। इस निविदा सूचना एवं निविदा की शर्तों को विभाग की वेबसाइट www.bikanermc.org एवं www.sppp.rajasthan.gov.in पर भी देखा जा सकता है।

प्रथम भाग :- तकनीकी बीड के साथ संलग्न किये जाने वाले पत्र नीचे क्र.स 1 से 09 तक

1.	फर्म का कोई भी रिश्तेदार नगर निगम बीकानेर में कार्यरत नहीं होने का शपथ-पत्र 50/- रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।
2.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि/घोषणा-पत्र।
3.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि/घोषणा-पत्र।
4.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि/घोषणा-पत्र।
5.	वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पंजीयन प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।
6.	आय कर (पैन नम्बर) पंजीयन प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।
7.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।
8.	50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर बिड सिक्यूरिटी घोषणा पत्र। (संलग्न प्रारूप)
9.	नगरीय निकाय या किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में आवारा गौवंश पकड़कर गौशाला में छोड़ने के कार्य का कुल निविदा राशि का 25 प्रतिशत राशि का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र

द्वितीय भाग :- बिड के साथ कोई भी पत्र संलग्न नहीं किया जावेगा मात्र दर भरकर प्रस्तुत करना है।

3. सफल निविदादाता फर्म को प्रदाय राशि की 2.5 प्रतिशत राशि सुरक्षित धरोहर के रूप में जमा करवानी होगी। सुरक्षित धरोहर राशि कार्य समाप्ति पश्चात् लौटाई जावेगी, सुरक्षित धरोहर राशि पर ब्याज देय नहीं होगा तथा 7 दिवस में नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पर अनुबन्ध करना होगा जिसका व्यय संवेदक को वहन करना होगा।
4. वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.2 (1) वित्त / जीएण्डटी - एसपीएफसी/2017 जयपुर दिनांक 23.12.2020 के क्रम में बिड सिक्यूरिटी के स्थान पर बिड सिक्यूरिटी के संबंध में घोषणा पत्र (Declaration) प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। अतः संवेदकों/फर्मों द्वारा बिड सिक्यूरिटी के स्थान पर 50/- रुपये के स्टाम्प पर संलग्न घोषणा पत्र निविदा में अपलोड कर सकता है।
5. निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवश यदि सम्पूर्ण निविदाएं नहीं खोली जा सकती है तो उनके अगले कार्यदिवस को शेष निविदाएं खोलने का कार्य जारी रखा जावेगा।
6. किसी तरह का Joint Venture स्वीकार्य नहीं होगा।
7. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क एवं प्रक्रिया शुल्क ऑनलाईन जमा करवाना अनिवार्य है।
8. सफल निविदादाता श्रम अधिनियमों/उप नियमों की पालना करनी होगी, तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की पालना करनी होगी। राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित सभी प्रकार के कर चुकाने की जिम्मेदारी सफल निविदादाता की होगी।
9. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने के अधिकार निगम के पास सुरक्षित होगा। जिसके लिये निगम कारण बताने के लिये बाध्य नहीं होगा। कांट छाट की गई निविदाओं पर बिना लघु हस्ताक्षर के विचार नहीं किया जावेगा।
10. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् निगम आवश्यकतानुसार आवारा सांड/गोधा पकड़ने एवं परिवहन करने वाले (वाहन, चालक, श्रमिक व ईंधन सहित) उपलब्ध करवानी होगी, चालक व श्रमिक मृदुभाषी एवं अनुशासित होने चाहिये।

11. निविदा संबंधित समस्त शुल्क जैसे ई-टेंडरिंग निविदा प्रक्रिया शुल्क तथा अमानत राशि आदि नगर निगम की वेबसाईट www.bikanermc.org पर ऑनलाईन जमा करवाने के साथ-साथ नगर निगम के खाता संख्या
12. नगर निगम के खाता संख्या 2011226629965742 IFSC कोड AUBL0002266 AU Small Bank Ltd. पर RTGS के माध्यम से जमा करवायी जा सकती है एवं जमा विवरण वेबसाईट आरजीटीएस की प्राप्ति रशीद को www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
13. आवारा गौवंश पकड़ने वाले वाहन, श्रमिक, चालक एवं मजदूरों पर होने वाले किसी भी प्रकार के व्यय जैसे पी.ओ.एल. टूट-फूट मरम्मत चालक व मजदूरों के वेतन भत्ते व अन्य सभी प्रकार के खर्चों की जिम्मेवारी निविदादाता को वहन करनी होगी।
14. सफल निविदादाता द्वारा निगम अधिकारी से प्रमाणित प्रस्तुत बिल के अनुसार भुगतान किया जायेगा।
15. कार्य आदेश प्राप्ति होने के 07 दिवस में निविदा दाता को आवारा गौवंश पकड़ने वाले वाहन, श्रमिक, चालक एवं ईंधन सहित उपलब्ध करवाने होंगे।
16. निविदा की अवधि कार्यादेश जारी होने की दिनांक से 1 वर्ष तक के लिये मान्य होगी। निविदा अवधि समाप्त होने पर विशेष परिस्थितियों में यह अवधि आगामी निविदा सम्पन्न नहीं होने तक इसी दर पर बढ़ाई जा सकती है। आवश्यकता पड़ने पर आवारा सांड/गोधा पकड़ने वाले वाहन, श्रमिक, चालक की संख्या घटाई व बढ़ाई जा सकती है। इस संबंध में निगम को पूर्ण अधिकार होगा।
17. प्रतिदिन पकड़े गये आवारा गौवंश की टैगिंग स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशन में निगम द्वारा निर्धारित गोशाला में करवाना होगा।
18. निविदादाता/ठेकेदार द्वारा आवारा गौवंश पकड़ने के पश्चात् सम्बन्धित स्वच्छता निरीक्षक/प्रभारी से प्रमाणित कराना होगा। निविदादाता को आवारा सांड/गोधा पकड़ने एवं परिवहन के बिल संबंधित स्वच्छता निरीक्षक को प्रमाण हेतु प्रस्तुत करना होगा।
19. निविदादाता के पास स्वयं का वाहन हो तो वह अपने वाहन से पकड़ने एवं छोड़ने का कार्य करने के लिए स्वतंत्र होगा। संवेदक की आवश्यकतानुसार निगम में स्थित आवारा गौवंश को पकड़ने वाले पिंजरे को निगम में 500/- रुपये प्रतिदिन जमा कर प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिदिन की दर से पिंजरे के किराये की राशि संवेदक द्वारा प्रस्तुत बिलों में से कटौति की जा सकेगी।
20. परिवहन ठेकेदार आवारा गौवंश को छोड़ते समय निगम के स्वच्छता निरीक्षक/जमादार/अधिकृत कर्मचारी अधिकृत रुप से साथ जायेंगे। निविदादाता/ठेकेदार को निगम से आवश्यक शुल्क जमा करवाकर लॉग बुक प्राप्त करनी होगी। प्राप्त लॉग बुक में आवारा गौवंश का परिवहन की प्रविष्टि होगी एवं लॉग बुक एवं आवारा गौवंश छोड़ने के रजिस्टर पर भी हस्ताक्षर होंगे।
21. निविदादाता/ठेकेदार को आवारा गौवंश के पागल होने की स्थिति में एवं सूचना मिलने पर तुरन्त पकड़ने व परिवहन की जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी। विशेष अभियान में अतिरिक्त संसाधन लगाये जायेंगे।
22. निविदादाता/ठेकेदार को आपातकालीन/विशेष परिस्थिति/अतिविशिष्ट व्यक्तियों के आगमन पर, राष्ट्रीय पर्व, दीपावली, होली, ईद, मोहर्रम, महावीर जयंती एवं अन्य धार्मिक समारोह-जुलूस के दौरान भी आवारा गौवंश पकड़ने के लिए जिम्मेवार होंगे। विशेष परिस्थितियों में निगम के उच्चाधिकारियों के निर्देश पर राजपत्रित अवकाश, शनिवार, रविवार को भी पकड़े/परिवहन का कार्य किया जा सकेगा।
23. यदि खुले नाले में आवारा गौवंश गिर जाता है तो नाले से पशु को निकालने एवं परिवहन की जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी।
24. निविदादाता/ठेकेदार द्वारा सर्किल निरीक्षक/प्रभारी एवं उच्चाधिकारियों के निर्देश की पालना नहीं करने एवं किसी भी प्रकार से फाल्ट होने पर 1000/- रु. प्रतिदिन पैनल्टी लगाया जायेगी।
25. निविदादाता/ठेकेदार को आपातकालीन स्थिति में आवारा गौवंश को रात्रिकालीन में भण्डार गृह के कांजी-हाऊस में रखने की अनुमति दी जायेगी। अगले दिन इस स्थल (कांजी-हाऊस) से आवारा गौवंश को निर्धारित स्थल पर परिवहन की जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी।
26. आवारा गौवंश को पकड़ने एवं परिवहन कार्य हेतु श्रमिकों की व्यवस्था निविदादाता को करनी होगी एवं श्रमिकों की मजदूरी, सुरक्षा एवं अन्य सहायता इत्यादि चुकाने की जिम्मेवारी निविदादाता की होगी तथा कार्य करते समय अगर संसाधन एवं श्रमिक दुर्घटनाग्रस्त होता है तो श्रमिक का इलाज मुआवजा एवं संसाधन की मरम्मत आदि की जिम्मेवारी निविदादाता की होगी। समस्त दायित्व का भार ठेकेदार का होगा।
27. निविदादाता को आवारा गौवंश को पकड़ने एवं परिवहन कार्य करते समय "पशु क्रूरता नियम" का पालन करना होगा। डण्डे से पीटकर पशु पकड़ना एवं क्षमता से अधिक पशुओं का परिवहन वर्जित होगा।
28. ठेकेदार/निविदादाता को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक आवारा गौवंश के परिवहन बिल प्रस्तुत करने होंगे।
29. निविदादाता को श्रम नियमों का पालन करना होगा तथा निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् निगम के साथ नियमानुसार नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध-पत्र निष्पादित करना होगा तथा कार्य-आदेश जारी होने के सात दिवस के भीतर कार्य शुरू करना होगा।

30. निविदादाता को श्रम नियमों का पालन करना होगा तथा निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् निगम के साथ नियमानुसार नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध-पत्र निष्पादित करना होगा तथा कार्य-आदेश जारी होने के सात दिवस के भीतर कार्य शुरू करना होगा।
31. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् अगर निविदादाता कार्य करने में असफल रहता है तथा कार्य संतोषजनक रूप से संपादित नहीं करने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी एवं निविदा निरस्त कर दी जावेगी तथा पुनः निविदा में भाग लेने विवर्जित हो जायेगा।
32. निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित है। इसके लिए निगम कारण बताने के लिए बाध्य नहीं होगा।
33. निविदा सबलेट करने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी एवं धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी। इस कार्य का उल्लंघन पर कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।
34. दूरी की गणना परिवहन विभाग द्वारा जारी सूची अनुसार मानी जावेगी।
35. सफल निविदादाता द्वारा पकड़े गये आवारा गौवंश को छोड़ने जाते समय संबंधित वार्ड का सफाई कर्मचारी साथ जायेगा। आवारा गौवंश को पकड़ने एवं छोड़े जाते समय के फोटो प्रस्तुत करने होंगे। वार्ड के जमादार/प्रभारी एवं स्वच्छता निरीक्षक/प्रभारी स्वच्छता द्वारा प्रमाणिकरण करने के पश्चात् भुगतान किया जावेगा।
36. महापौर/आयुक्त/उपायुक्तगण/स्वास्थ्य अधिकारी/स्वच्छता निरीक्षक/स्वच्छता प्रभारियों आदि द्वारा निर्देश दिये जाने पर ही आवारा गौवंश को पकड़ना होगा।
37. ईपीएफ एवं ईएसआई जमा करवाने की समस्त जिम्मेवारी सफल निविदादाता की ही होगी। संबंधित विभाग में किसी भी तरह का बकाया होगा तो उसकी भी समस्त जिम्मेवारी सफल निविदादाता की ही होगी। इसके लिए निगम किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा।
38. निविदा दाता द्वारा किसी भी निविदा शर्तों/अनुबंध की अवहेलना करने पर निगम द्वारा ठेका निरस्त कर जमा अमानत एवं सुरक्षित धरोहर राशि जब्त की जा सकेगी।
39. निविदा में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्त विभाग के परिपत्र सं. 1/2018 दिनांक 30.04.2018 लागू होंगे।
40. किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर वैधानिक विवाद हेतु न्यायिक क्षेत्र बीकानेर होगा।

स्वास्थ्य अधिकारी
बीकानेर नगर
निगम

मुख्य लेखाधिकारी
बीकानेर नगर निगम

उपविधि परामर्शी
बीकानेर नगर निगम

सहायक अभियंता
यांत्रिक

उपायुक्त (पूर्व)
बीकानेर नगर निगम

Form of Bid-Securing Declaration

Date :

Bid No. :

Alternative No. :

To :

We, the undersigned, declare that:

We understand that, according to your conditions, bids must be supported by a Bid-Securing Declaration. We accept that we are required to pay the bid security amount specified in the Term and Condition of Bid, in the following cases, namely :-

- (a) when we withdraw or modify our bid after opening of bids;
- (b) when we do not execute the agreement, if any, after placement of supply/work order within the specified period;
- (c) when we fail to commence the supply of the goods or service or execute work as per supply/work order within the time specified;
- (d) when we do not deposit the performance security within specified period after the supply/work order is placed; and
- (e) if we breach any provision of code of integrity prescribed for bidding specified in the Act and Chapter VI of these rules.

In addition to above, the State Government shall debar us from participating in any procurement process undertaken for a period not exceeding three years in case where the entire bid security or any part thereof is required to be forfeited by procuring entity.

We understand this Bid Securing Declaration shall expire if :-

- (i) we are not the successful Bidder;
- (ii) the execution of agreement for procurement and performance security is furnished by us in case we are successful bidder;
- (iii) thirty days after the expiration of our Bid.
- (iv) the cancellation of the procurement process; or
- (v) the withdrawal of bid prior to the deadline for presenting bids, unless the bidding documents stipulate that no such withdrawal is permitted.

Signed : _____

Name : _____

In the capacity of : _____

Duly authorized to sign the bid for and on behalf of :

Dated on _____ day of _____

Corporate Seal _____

[Note: In case of a Joint Venture, the Bid Securing Declaration must be signed in name of all partners of the Joint Venture that is submitting the bid.]

